www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 13.01.2017

घूसखोरी के मामले में डी.जी.एस. एण्ड डी. के तत्कालीन निदेशक को 25,000 रू. जुर्माने सहित चार वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली ने घूसखोरी के मामले में डी.जी.एस. एण्ड डी. नई दिल्ली के श्री एस.के. पाण्डेय को दोषी ठहराया तथा उन्हें 25,000/ रू. जुर्माने सहित चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने शिकायत के आधार पर दिनांक 21.01.2015 को मामला दर्ज किया। जिसमें यह आरोप था कि श्री सुरेश कुमार पाण्डेय जो कि डी.जी.एस. एण्ड डी., दिल्ली में तत्कालीन निदेशक (पंजीकरण) के तौर पर कार्यरत थे, ने कम्पनी को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 20,000/ रू. घूस की माँग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 15,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली में दिनांक 23.07.2015 को आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने आरोपी को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****